न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी. 58-गा-15

प्रकरण क्रं /

प्रकाश पिता श्री चांदमल जी जैन निवासी–
ग्राम कुचडोद तह. व जिला मंदसौर
.....आवेदक

विरूद्व

सकल पंच कुमावत समिति कुचडोद दारा अध्यक्ष गोपाल पिता रामलाल कुमावत तह. व जिला मंदसौर .....अनावेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री प्रताप मेहता
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 2-12-14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू– राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार तहसील टप्पा घुघडका तह. व जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–13/13–14 में दिनांक 17.10.2014 को जो अंतरिम आदेश पारित किया हैं उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01 यह किं, अनावेदक सकलपंच कुमावत समिति कुचडौद तह. मंदसौर जिला मंदसौर द्वारा अध्यक्ष गोपाल पिता रामलाल कुमावत द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131,32, के तहत अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन में उल्लेखित किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे नंबर 1601 1600, व 1597 ग्राम कुचडोद में स्थित होकर इस पर ओन जाने के लिये रूढिगत व सनातनी रास्ता भूमि सर्वे नंबर 1593 व 1592 के मध्य मेड से हैं। जिसे आवेदक प्रकाश पिता चांदमल जैन एवं नरेन्द्र पिता चांदमल जैन निवासी कुचडौद के द्वारा दादागिरी पूर्वक पत्थर डालकर एवं पिकअप वाहन विघालय का वाहन खडा कर मार्ग को अवरूद कर दिया तथा रास्ता अवरूद होने से कुमावत समाज अपनी भूमि में नही जा पा रहा हैं, अतः मार्ग खुलवाने जाने का निवेदन किया गया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 32 भू राजस्व संहिता स्वीकार करते हुए रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया उक्त आदेश से अंसतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी सादर प्रस्तुत हैं :–

निरंतर...2.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-58-तीन/15 **जिला - मंदसौर**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	